न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::03 / 2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00022

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. मोहन भारती पुत्र श्री मुकन भारती 2. कान भारती पुत्र श्री मुकन भारती जातियान् गोस्वामी, निवासीगण– ग्राम बिठू , तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		1. सुरज भारती गोस्वामी पुत्र श्री बालु भारती, जाति–गोस्वामी, निवासी– बिठु , तहसील रोहट, जिला पाली 2. ग्राम पंचायत बिठू , पंचायत समिति रोहट, जिला पाली जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी की ओर से इन्द्रसिंह

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बिठू द्वारा जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 2.2.2013 के जारी किया उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। तथा उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत बीठू के प्रार्थीगण मूल निवासी है तथा बिठू ग्राम में प्रार्थीगण की पुरानी आबादी भूमी में रहवासीय मकान व भूखण्ड आये हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 सूरज भारती गोस्वामी के पक्ष में ग्राम पंचायत की आबादी भूमी में पट्टा नम्बर 24 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के अन्तर्गत पट्टा दिनांक 2.2.2013 को जारी किया गया है उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के साथ ही अप्रार्थीगण का पुश्तैनी भूखण्ड है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा पक्का मकान बना हुआ है उक्त भूमी का अप्रार्थी संख्या 1 ने अविधिक रूप से ग्राम पंचायत बिठू से पट्टा संख्या 24 जारी करवाया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा 404 वर्गमीटर का पट्टा जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार 300 वर्गगज से ज्यादा है अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा का पट्टा गाम पंचायत द्वारा जारी कर दिया जाने से जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल ही कायम नहीं की गई न ही पंचायत नियमों में प्रदत प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर मिसल कायम नहीं की गई तीन वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण हेतु कमेटी नहीं बनाई गई न हि जैर निगरानी का नक्शा बनाया गया, आपति इश्तिहार जारी नहीं किया गया तथा आपतियां आमंत्रित नहीं की गई यहां तक कि आपतियां आमंत्रित करने का नोटिस भी जारी नहीं किया गया। दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिए गए तथा क्षेत्राधिकार से अधिक भूमी का पट्टा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन भी नहीं करवाया गया यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5.12.2012 को जैर निगरानी पट्टा बाबत प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया है बिना प्रस्ताव के पट्टा निरस्तनीय है उपरोक्त सभी तथ्यों के परिणामस्वरूप जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रार्थी ने एक राजीनामा की प्रति जो प्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्यों के मध्य हुआ उसमें जैर निगरानी भूखण्ड को पुश्तैनी माना है तथा पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा या उसके किसी भाग का पट्टा किसी भी एक सदस्य के नाम बिना आपसी रजामंदी के जारी नहीं किया जा सकता है वकील प्रार्थी ने कथन किया कि निगरानी में म्याद का प्रश्न आड़े नहीं आता है इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर निगरानी स्वीकार कर जैर निगरानी पट्टा संख्या 24 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:05 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी पेश की गई है वह म्याद बाहर पेश की गई है पट्टा 2013 में जारी किया गया एवं निगरानी 2020 में पेश की गई है जो 7 वर्षो

क्रमश..................2

जिला कलेक्टर पाली

बाद पेश करने का न्यायोचित कारण बाबत म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट नहीं किया है इसलिए म्याद बाहर होने से निगरानी खारिज फरमाई जावे। जैर निगरानी आराजी पर पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है तथा सभी प्रक्रियाओं का पालन कर ग्राम पंचायत बिठू द्वारा पट्टा जारी किया गया है जिसे खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं है राजीनामा जो लिखा गया है वह दबाव डाल कर प्रभाव बनाकर करवाया है जो मात्र स्टाम्प डयूटी बचाने हेतु किया गया है मौके पर जैर निगरानी आराजी पर कुछ निर्माण किया हुआ है तथा पानी का टेंक बना हुआ है वकील अप्रार्थी द्वारा फोटोग्राफ भी पेश किए गए है इस प्राकर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना कब्जा है उपरोक्त सभी तथ्यों के परिणामस्वरूप निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली तथा ग्राम पंचायत बिठू से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के संदर्भ में विचारणीय बिन्दु 3 है :–

1. क्या पुश्तैनी भूखण्ड/मकान का पट्टा केवल एक ही व्यक्ति के नाम जारी किया गया है ?
2. क्या पट्टा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर जारी किया गया है ?
3. क्या निगरानी म्याद बाहर है ?

जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है यह तथ्य अप्रार्थीगण द्वारा भी राजीनामें में स्वीकार किया है जो वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामें की प्रति से स्पष्ट है तथा पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा सभी उत्तराधिकारियों के हक में जारी नहीं कर मात्र एक व्यक्ति के नाम जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है जैर निगरानी पुश्तैनी आराजी का पट्टा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सभी के हिस्से अनुसार नहीं कर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया है जो निरस्तनीय है।

ग्राम पंचायत बीठू द्वारा पट्टा जारी करते समय मिसल कायम नहीं की गइ एवं मिसल के अभाव में प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं इसका निर्णय किया जाना संभव नहीं है लेकिन प्रस्ताव रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाम पंचायत द्वारा दिनांक 5.12.12 को अप्रार्थी संख्या 1 सूरजपुरी के नाम पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव नहीं लिया गया है तथा नियम 157(1) के तहत जो पट्टा जारी किया गया है उक्त जैर निगरानी पट्टा 404 वर्गमीटर का जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज से अधिक पट्टा जारी किया जाना अनुमत नही है इसलिए भी जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है।

जहां तक म्याद का प्रश्न है धारा 97 के तहत विधिविरूद्ध तरीके से जारी पट्टे को कभी भी खारिज कराया जा सकता है। इसमें म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 24 जो सूरज भारती गोस्वामी के पक्ष में दिनांक 2.02.2013 को तथाकथित प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 5.12.2012 की पालना में जारी किया गया है उन्हें निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:36:05 IST
Reason: SelfAttested